

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


क्रमांक :- शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-ा/वि.ग./18 दिनांक :-31.07.2018  
**अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA)** हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति  
विज्ञापन संख्या -06/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु द्वितीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित के 1379 पदों हेतु निमानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इन विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	द्वितीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित	1361	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक
2	द्वितीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा — लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित	18		

- 1 आवेदन करने की अवधि – दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अकित है।
- 4 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) में अन्य पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा / शैक्षिक योग्यता के अंकों में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा। अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप आवेदन कर सकेंगे।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु -रु. 100/-
  - (2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रु. 70/-
  - (3) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु - रु. 60/-

नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समरत जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुठरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में ग्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यवितरित रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
निदेशक, 30/7/18  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्रार/नियु-2/982/शि.मर्ती-2018/लेा/संस्कृत/18 दिनांक :— 31.07.2018  
**अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA)** हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन


विज्ञापन संख्या —10/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत, अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत के 184 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय संस्कृत	184	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक

- 1 आवेदन करने की अवधि — दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आखण्ण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अन्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञापन में अंकित है।
- 4 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) में अन्य पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अन्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा/शैक्षिक योग्यता के अंकों में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा। अतः इन वर्गों के अन्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्यर्थी के रूप आवेदन कर सकेंगे।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु —रु. 100/-
  - (2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नौन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रु. 70/-
  - (3) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु रु. 60/-

नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अन्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अन्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अन्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अन्यर्थी का आवेदन अर्थीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरवित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अन्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
 निदेशक  
 प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-ग/हिन्दी/18

दिनांक :— 31.07.2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति


विज्ञापन संख्या —04/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी के 604 पदों हेतु नियमानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं :—

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय हिन्दी	586	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै—मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा — लेवल द्वितीय हिन्दी	18		

- 1 आवेदन करने की अवधि — दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) में अन्य पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा/शैक्षिक योग्यता के अंकों में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा। अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप आवेदन कर सकेंगे।
- 5 आवेदन पत्र ऑन—लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परियर्तन (Editing) अनुज्ञय नहीं होगा।
- 6 ऑन—लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रु. 100/-
  - (2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रु. 70/-
  - (3) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु — रु. 60/-

नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विवार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन—लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुठरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्रार/नियु-२/९८२/शि.भर्ती-२०१८/ले-गा/सा.अ./१८

दिनांक :— ३१.०७.२०१८

**अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति**

विज्ञापन संख्या —०८/२०१८

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु दृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन के 349 पदों हेतु निमानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	दृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन	331	दिनांक ०१-०१-२०१९ को न्यूनतम १८ वर्ष एवं ४० वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, २०१७ की पै-मैट्रिक्स के लेवल १० के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में रु. २३७००/- नियत पारिश्रमिक
2	दृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा – लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन	18		

- 1 आवेदन करने की अवधि — दिनांक ०३.०८.२०१८ से दिनांक २३.०८.२०१८ के रात्रि १२:०० बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गावार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) में अन्य पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा/शैक्षिक योग्यता के अंकों में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा। अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप आवेदन कर सकते।
- 5 आवेदन पत्र ऑन—लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन—लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रु. 100/-
  - (2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रु. 70/-
  - (3) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु — रु. 60/-  
नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन—लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई—मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुट्रचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः ०९:३० से सायं ०६:०० बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यवितरण रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर ०१५१—२२०७०४७ पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

*Gulab*  
निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रार/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-ा/उर्दू/18 दिनांक :-31.07.2018  
 अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय उर्दू की सीधी भर्ती हेतु विज्ञाप्ति


विज्ञापन संख्या -13/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय उर्दू के 25 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा-लेवल द्वितीय उर्दू	25	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक

- 1 आवेदन करने की अवधि – दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञाप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञाप्ति में अंकित है।
- 4 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) में अन्य पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा/शैक्षिक योग्यता के अंकों में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा। अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञाप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनरीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु -रु. 100/-
  - (2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रु. 70/-
  - (3) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु - रु. 60/-

नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अकित करने एवं कुटरयित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञाप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
 निदेशक,  
 प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्रार/नियु/प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-ग/अंग्रेजी/18

दिनांक :—31.07.2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या —02/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के 1510 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं :—

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय अंग्रेजी	1492	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै—मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवेश प्रशिक्षण के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा — लेवल द्वितीय अंग्रेजी	18		

- 1 आवेदन करने की अवधि — दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) में अन्य पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा/शैक्षिक योग्यता के अंतर्में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा। अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप आवेदन कर सकतें।
- 5 आवेदन पत्र ऑन—लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन—लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रु. 100/-
  - (2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा / अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु— रु. 70/-
  - (3) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु — रु. 60/-  
नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन—लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मिट्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा जिसकी समरत जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यवित्तगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151—2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर